IMPORTANT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

कमांक एफ.28( )पराविं/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./जॉब चार्ट/2017/2191 जयपुर,दिनांकः 26/06/19

1. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
   जिला परिषद – समस्त ।
2. **विकास अधिकारी**
   पंचायत समिति – समस्त ।

विषय :– पंचायत प्रसार अधिकारियों के पंचायत क्लस्टर्स/सर्किल के संबंध में।
प्रसंग :– विभागीय परिपत्र कमांक 4313 दिनांक 16.11.2017 एवं पत्रांक 1802 दिनांक 26.04.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 16.11.2017 की पालना में पंचायत प्रसार अधिकारियों के पंचायत कलस्टर्स/सर्किल गठन किये जा चुके है। जो विभागीय वेबसाइट http://rajpanchayat.rajasthan.gov.in पर अपलोड है।

प्रासंगिक पत्र दिनांक 26.04.2018 द्वारा परिपत्रानुसार पंचायत प्रसार अधिकारियों से उन्हे आवंटित कलस्टर के कार्य लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु विभाग के ध्यान में लाया गया है कि पंचायत प्रसार अधिकारियों से परिपत्रानुसार कार्य नहीं लिये जा रहा है।

अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है किः–

I. परिपत्र/नियमानुसार पंचायत प्रसार अधिकारियों से कार्य लिये जावें।
II. पंचायत प्रसार अधिकारियों के परिपत्रानुसार प्रतिमाह निरीक्षण कार्यक्रम जारी कर, प्रति इस विभाग को भिजवाये।
III. निर्धारित निरीक्षण कार्यक्रम अनुसार पंचायत प्रसार अधिकारी निरीक्षण करेगें एवं निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति पंचायती राज विभाग को भिजवायेगें।

ताकि परिपत्र की मंशा पूरी हो सके व इनकी सेवाओं का बेहतर उपयोग हो सकें।

(मोहम्मद अबूबक्र)
उप सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिनि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. समस्त संभागीय आयुक्त/ जिला कलेक्टर।
2. समस्त पंचायत प्रसार अधिकारी।
3. ~~एसीपी~~. मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

उप सचिव एवं उपायुक्त

D:\SSR\Ext.Officers\PO UNION\PO-Union.doc